न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 137/2019

अनवान :

1. जगदीश पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रामकिशन पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कौशल्या पुत्री चन्दूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल न्योली कलां तहसील व जिला हिसार।
3. सुमित्रा पुत्री चन्दूराम पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल आर्यनगर तहसील व जिला हिसार।
4. कृष्णा पुत्री चन्दूराम पत्नी शिवशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सरला पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. गौरव पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
7. प्रियंका पुत्री स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
8. प्रीति पुत्री स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
9. बैक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा : **वादीगण**

वकील श्री संदीप बैनीवाल :**प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 05-08-2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 91/83 के मु.न. 39 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 286 के किला नं. 3 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 4 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.076 हैक्टर, मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 6 की 0.127 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.162 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर कुल 2.629 हैक्टर बारानी 2.590 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 34/37 के मु.न. 147 के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 148 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी मस प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर गै.मु.रास्ता, किला नं. 18 ता 20, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 5.819 हैक्टर, नहरी 2.277 हैक्टर, बारानी 3.503 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर

5.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज है। यही बिनाय दावा है। नकल जमाबंदीयात संलग्न वाद है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम को वादीगण के पड़दादा बालमुकन्द से विरासतन प्राप्त हुई है क्योंकि वादीगण के दादा लक्ष्मीनारायण की मृत्यु वादीगण के पड़दादा बालमुकन्द के जीवनकाल में ही हो गई थी जो गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2016 के खाता नं. 118 व खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029–38 के खाता सं. 201 व चक नं. 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2029–38 के खाता सं. 67 व चक 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2034–37 के खाता सं. 98 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादीगण सं. 1 व 2 और प्रतिवादी सं. 1 ता 4 प्रत्येक का उक्त भूमि में 1/7 हक व हिस्सा है औरं राजेन्द्र प्रसाद के वारिसान प्रतिवादीगण सं. 5 ता 8 का संयुक्त रूप से 1/7 हक हिस्सा की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी है। नकल जमाबंदीयात संलग्न अर्जीदावा है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने अपना ईकबालदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 7 ने वाद के तथ्य को स्वीकार करते हुये अपना जवाबदावा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी जगदीश पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्णू निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भिरानी प्रदर्श 1, जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 91/84 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2071–74 खाता संख्या 34/37 प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि एकीकरण ग्राम भिरानी सम्वत 2016 प्रदर्श 4, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029–38 खाता संख्या 201 प्रदर्श 5, जमाबंदी खतौनी चक 8 जेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 67 प्रदर्श 6, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2034–37 खाता संख्या 98 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने गांव भिरानी के खाता संख्या 91/83 के कुल 2.629 हैक्टर बारानी 2.590 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर, चक 8 जेएसएल के खाता संख्या 34/37 की कुल 5. 819 हैक्टर, नहरी 2.277 हैक्टर, बारानी 3.503 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर में वादीगण सं. 1 व 2 और प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा भूनि अनुसार अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि होना व वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी भिरानी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 91/84 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2071–74 खाता संख्या 34/37 प्रदर्श 3, खतौनी जमाबंदी भूमि

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

एकीकरण ग्राम भिरानी सम्वत 2016 प्रदर्श 4, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2029–38 खाता संख्या 201 प्रदर्श 5, जमाबंदी खतौनी चक 8 जेएसएल सम्वत 2029–38 खाता संख्या 67 प्रदर्श 6, जमाबंदी चक 8 जेएसएल सम्वत 2034–37 खाता संख्या 98 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये है। इस प्रकार वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने भी अपने जवाबदावा व ईकबालदावा के अनुसार वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से सहमत है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजात के आधार पर वाद वादीगण साबित होना पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 91/83 के मु.न. 39 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 286 के किला नं. 3 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 4 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.076 हैक्टर, मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 6 की 0.127 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.162 हैक्टर मय गै. मु.रास्ता 0.013 हैक्टर कुल 2.629 हैक्टर बारानी 2.590 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 34/37 के मु.न. 147 के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु.न. 148 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी मेंसे प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर गै.मु.रास्ता, किला नं. 18 ता 20, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 5.819 हैक्टर, नहरी 2.277 हैक्टर, बारानी 3.503 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 चन्दूराम के बजाये वादीगण सं. 1 व 2 और प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

<u>पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 137/2019

अनवान :

1. जगदीश पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. रामकिशन पुत्र चन्दूराम जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम

1. चन्दूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. कौशल्या पुत्री चन्दूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल न्योली कलां तहसील व जिला हिसार।
3. सुमित्रा पुत्री चन्दूराम पत्नी रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल आर्यनगर तहसील व जिला हिसार।
4. कृष्णा पुत्री चन्दूराम पत्नी शिवशंकर जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी हाल भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. सरला पत्नी स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. गौरव पुत्र स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
7. प्रियंका पुत्री स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
8. प्रीति पुत्री स्व. राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी भिरानी तहसील भादरा।
9. बैक एस.बी.आई शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955</u>

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण संदीप बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 91/83 के मु.न. 39 के किला नं. 2 की 0.253 हैक्टर, मु.न. 286 के किला नं. 3 की 0.253 हैक्टर, किला नं. 4 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 5 की 0.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

076 हैक्टर, मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 6 की 0.127 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर, किला नं. 7 ता 9, 12 ता 14 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर, किला नं. 15 की 0.162 हैक्टर मय गै.मु.रास्ता 0.013 हैक्टर कुल 2.629 हैक्टर बारानी 2.590 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज है और चक 8 जेएसएल की जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 34/37 के मु. न. 147 के किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 के प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर नहरी, मु. न. 148 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी, किला नं. 11 ता 13 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी मस प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टर गै. मु.रास्ता, किला नं. 18 ता 20, 22, 23 प्रत्येक किला की 0.253 हैक्टर बारानी कुल 5.819 हैक्टर, नहरी 2.277 हैक्टर, बारानी 3.503 हैक्टर, गै.मु.रास्ता 0.039 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 चन्दूराम के नाम खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 चन्दूराम के बजाय वादीगण सं. 1 व 2 और प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 का संयुक्त रूप से 1/7 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) RAS

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़